भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2594
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: उपजाऊ भूमि के क्षेत्र में कमी

2594. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि हाल ही में, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अवसंरचना विकास, विशेषकर देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए विभिन्न प्रयोजनों/उपयोगों हेतु कृषि भूमि के अंधाधुंध अधिग्रहण के कारण उपजाऊ भूमि कम हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार भविष्य में विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्यकलापों के लिए उपजाऊ भूमि के उपयोग को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेगी ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले हमारी कृषि और किसानों की रक्षा की जा सके तथा भविष्य में खाद्यान्न की कमी/अकाल को रोका जा सके;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): 'भूमि उपयोग सांख्यिकी - एक नजर में 2023-24' की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सकल फसली क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2013-14 में 201.3 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर वर्ष 2023-24 में 217.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है और निवल बुवाई क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जो वर्ष 2023-24 में 138.99 मिलियन हेक्टेयर दर्ज किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के डेटा का केंद्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं करता है।

(ग) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या-18 के अनुसार भूमि एवं कृषि, राज्य के विषय हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही औद्योगिक परियोजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं। तथापि, केंद्र सरकार ने

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.), 2013 अधिनियमित किया है, जो दिनांक 01.01.2014 से प्रवृत्त है। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 10 बहु-फसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है, सिवाय उन असाधारण परिस्थितियों के, जब कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में, कृषि योग्य बंजर भूमि के समतुल्य क्षेत्र का विकास कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाएगा या अधिग्रहित भूमि के मूल्य के समतुल्य राशि कृषि में निवेश एवं खाद्य सुरक्षा बढ़ाने हेतु संबंधित सरकार के पास जमा की जाएगी। यह अधिनियम ऐसे रूपांतरण को पुरजोर तरीके से हतोत्साहित करता है, जब तक कि अत्यावश्यक न हो। जहां भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहां किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ तथा कुछ मामलों में भूमि के बदले भूमि जैसे प्रतिपूरक प्रावधान किए जाते हैं।

भूमि संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका मुख्य फोकस बारानी एवं क्षरित भूमि के विकास पर है। इस योजना के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ रिज एरिया ट्रीटमेंट, जल निकासी की लाइन का ट्रीटमेंट, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी विकास, चारागाह विकास, परिसंपत्ति-विहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका उपलब्ध कराना, जैसे कार्यकलाप भी शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किए गए उपाय, खेती योग्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक हैं। इस योजना को सरकार द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने खेती योग्य क्षेत्र बढ़ाने हेतु अनेक तकनीकी उपाय विकसित किए हैं। इनमें देश में वर्षा जल के बहाव से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट बायो-इंजीनियरिंग, रेत के टीलों का स्थिरीकरण और हवा से होने वाले कटाव को रोकने हेतु शेल्टर बेल्ट तकनीक तथा समस्या-ग्रस्त मृदा के लिए रिक्लेमेशन तकनीक शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, फ्लशिंग, अतिरिक्त जल की निकासी, उत्तम गुणवत्ता का सिंचाई जल, संशोधनों का कार्यान्वयन, फसलों का चयन तथा प्रभावी पोषक तत्व प्रबंधन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर क्षरित मिट्टी में सुधार और उन्हें खेती के अंतर्गत लाने, पौधों के पोषक तत्व के जैविक एवं अजैविक दोनों स्रोतों (जैसे गोबर खाद, जैव-उर्वरक आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के क्षरण को रोकने वाले स्थान-विशिष्ट मृदा एवं जल संरक्षण उपायों के लिए विभिन्न कृषि-वैज्ञानिक उपायों की भी सिफारिश करता है।

*****